18 से होगा कॉपियों का मूल्यांकन

249 केंद्रों पर किया जाएगा मूल्यांकन, नियुक्त किए जाएंगे पर्यवेक्षक

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। यूपी बोर्ड परीक्षा-2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होकर एक अप्रैल तक प्रदेश के 249 मूल्यांकन केंद्रों पर किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय और पारदर्शी बनाए रखने के लिए परिषद ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। किसी भी स्तर पर मौखिक, लिखित, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक

यूपी बोर्ड : गोपनीयता भंग करने पर होगी कार्रवाई

माध्यम से उत्तर पुस्तिका अथवा मूल्यांकन से संबंधित किसी भी सूचना को साझा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। गोपनीयता भंग होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मूल्यांकन कार्य की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं, प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर जिलाधिकारी द्वारा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। मूल्यांकन कार्य वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराया जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी जनपद तथा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से होगी।

मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों को मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मूल्यांकन कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूल्यांकन केंद्रों की सुरक्षा के लिए अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने हेतु एलआईयू और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ट्रक के साथ दो सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

परिषद के अनुसार, 17 मार्च को सभी मूल्यांकन केंद्रों पर उप नियंत्रक द्वारा मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) द्वारा शिक्षकों को परिचय पत्र भी जारी किए जाएंगे।

मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़, धार्मिक किताब फाड़ी

बड़ौत (बागपत)। हिलवाड़ी गांव में शुक्रवार रात असामाजिक तत्वों ने छोटी मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और धार्मिक किताब फाड़ने का भी आरोप है।

सूचना मिलने पर मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। वहां आए पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। पुलिस ने दो युवकों से पूछताछ भी की। हिलवाड़ी गांव में शनिवार सुबह नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें वहां सामान बिखरा हुआ मिला। मस्जिद में बर्तन समेत अन्य सामान भी टूटे हुए मिले, जबकि धार्मिक किताब के पन्ने फर्श पर फैले हुए थे। इसका पता चलते ही लोगों में आक्रोश पनप गया। संवाद

संगठन और सरकार के बदलाव में दिखाई देगी समन्वय बैठकों की छाप

पहली बार संघ के साथ हुई छह क्षेत्रीय बैठकों में उठे मुद्दे और सुझावों पर होगा काम

लखनऊ। सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बीच समन्वय बैठकों का दौर शनिवार को खत्म हो गया। अब इन बैठकों में उठे मुद्दे और सुझावों पर काम होगा। भाजपा की सियासी प्रयोगशाला में पहली बार माइक्रो लेबल पर आयोजित इन छह क्षेत्रीय बैठकों को लेकर सियासी गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई है।

बैठकों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता ने उपेक्षा से हताश-निराश कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगाई है। बैठकों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि संगठन व सरकार न केवल चुनावी तैयारियों को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर जनता और संगठन के बीच मजबूत पुल भी बनाएंगे।

दरअसल, पंचायत चुनाव के साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी भाजपा और सरकार के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका त्वरित समाधान जरूरी है। इनमें यूजीसी विवाद, ब्राह्मणों में असंतोष, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, प्रदेश से लेकर जिला व मंडल तक संगठन में कुर्सी की मारामारी और बोर्ड, निगम व निकायों में कार्यकर्ताओं के समायोजन जैसे कई मुद्दे हैं। सभी समन्वय बैठकों में यही मुद्दे उठे। साफ है कि बैठकों में हुए मुद्देवार मंथन की छाप आगामी रणनीति में दिखेगी।

बताया जा रहा है कि बैठकों में उठे मुद्दों और समस्याओं के साथ सुझावों को भी सीएम, प्रदेश भाजपा संगठन और संघ के प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा गया है। भाजपा और संघ में कार्यकर्ताओं की तमाम शिकायतों को दूर कर सभी मुद्दे सुलझाने की रूपरेखा तैयार करने की सहमति बनी है। ब्यूरो

पेट की बीमारियों में गुजरात ग्रोमेड का स्टोमाक्योर बेलाडोना असरकारक

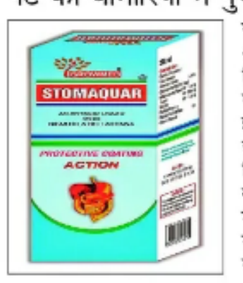

नई दिल्ली (वि)। गुजरात ग्रोमेड का स्टोमाक्योर बेलाडोना पेट की बीमारियों में असरकारक साबित हो रहा है। स्टोमाक्योर बेलाडोना बिस्मथसाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित है। यह अपच और सूजन में उपयोग किए जाने वाली एक दवा है, जो पेट में गैस, एसिडीटी, जलन, अनपच, खट्टे डकार के तकलीफों से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा स्टोमाक्योर पुराना कब्ज, पेप्टिक अल्सर, आंत, सिरदर्द, मुंह में छाले, हाईपर-एसिडीटी एवं पेट के अन्य तकलीफों में भी अत्यंत लाभकारी है। इसका नियमित सेवन रक्तचाप को सही रखने में भी बहुत लाभदायक है। बेलाडोना आंत की सूजन, पेट में अल्सर, इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम व अन्य रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। स्टोमाक्योर भूख भी बढ़ाता है जिससे पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है। स्टोमाक्योर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए www.growmed.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह फ्लिपकार्ट, एमेजॉन तथा इंडिया मार्ट से भी मंगाया जा सकता है।

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले मामले में अब 11 को सुनवाई

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले मामले में सुनवाई हुई। बहस जारी रखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है। संवाद

अल्ट्रावायलेट ने 'बैटरी फ्लेक्स' योजना लॉन्च की, बाइक की कीमत 1.49 लाख से शुरू

नई दिल्ली (वि)। भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव ने अपनी नई योजना 'बैटरी फ्लेक्स' लॉन्च की है। इस योजना में ग्राहक अब कंपनी की नई इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रावायलेट एक्स47 को पहले की तुलना में करीब 40 प्रतिशत कम शुरुआती कीमत लगभग 1.49 लाख रुपये में खरीद सकेंगे। कंपनी ने यह योजना फाइनेंस पार्टनर ईकोफी के साथ मिलकर शुरू की है। बैटरी सब्सक्रिप्शन की शुरुआत लगभग 2,499 रुपये प्रतिमाह से होगी और बैटरी पैक पर 5 साल की वारंटी दी जाएगी। कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ नारायण सुब्रमण्यम ने कहा कि पहले 12.5 लाख रुपये की कीमत पर यह बाइक समान क्षमता वाली पेट्रोल बाइकों के बराबर थी, लेकिन अब लगभग 1.5 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर ग्राहक बेहतर तकनीक, फीचर्स और उच्च प्रदर्शन का लाभ उठा सकेंगे। सह-संस्थापक और सीटीओ नीरज राजमोहन ने कहा कि 'बैटरी फ्लेक्स' के जरिए कंपनी इस तकनीक को अधिक लचीले और किफायती तरीके से ग्राहकों तक पहुंचा रही है

अमर उजाला

शुक्रिया

आपकी वजह से घर-घर पहुंचता है उजाला

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर

महिला शक्ति को प्रणाम

हमारी महिला वितरक बंधु और अभिकर्ता केवल अखबार ही नहीं पहुंचातीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी की मिसाल भी पेश करती हैं।

अमर उजाला | impressions | Ujala Cygnus | amarujala.com | Touch Point | BONUS

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांक: परि.प्र./ 11017-18/ 2025-26 दिनांक: 06.03.2026

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा लगातार अनुपस्थित शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु दिनांक 07.03.2026 तक किसी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी का जबाव प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न विवरणानुसार अन्तिम नोटिस दी जाती है।

क्र. सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	विद्यालय व विकास खण्ड का नाम	अनुपस्थित रहने का दिनांक
1.	जीनत फातिमा सिद्धकी	स.अ.	कम्पोजिट उ.प्रा.वि. खखुडा, वि.क्षे.–शिकारपुर	31.01.2020 से अद्यतन
2.	नमिता चौधरी	स.अ.	कम्पोजिट प्रा.वि. सीकरी नं.–02 वि.क्षे.–खुर्जा	2021 से अद्यतन
3.	कवल निर्मेश	स.अ.	उ.प्रा.वि. बिसाईच वि.क्षे.–गुलावठी	01.01.2020 से अद्यतन
4.	रामगोपाल शर्मा	स.अ.	उ.प्रा.वि. रूनसी (1–8) वि.क्षे. पहासू	10.03.2021 से अद्यतन
5.	पवन कुमार	स.अ.	प्रा.वि. भोपतपुर वि.क्षे.–पहासू	22.10.2019 से अद्यतन
6.	शिवानी चौधरी	स.अ.	उ.प्रा.वि. लोहलारा वि.क्षे.–अगौता	01.07.2017 से अद्यतन
7.	बीना वरूण	स.अ.	उ.प्रा.वि. महेशपुर वि.क्षे.–अगौता	01.01.2018 से अद्यतन
8.	कीर्ति सोनी	स.अ.	प्रा.वि. सतोहा वि.क्षे.–डिबाई	12.08.2021 से अद्यतन
9.	गौरव पाल सिंह	स.अ.	प्रा.वि. खानपुर नं.–01 वि.क्षे.–ऊंचागांव	मार्च 2020 से अद्यतन
10.	सुनिता	स.अ.	प्रा.वि.कलन्दरगढ़ी वि.क्षे.–खुर्जा	2015 से अद्यतन
11.	रामकुमार	अनुचर	उ.प्रा.वि. दिनौल वि.क्षे.–खुर्जा	2007 से अद्यतन
12.	अमित कुमार	अनुचर	सं.वि. बौरोली वि.क्षे.–खुर्जा	2013 से अद्यतन
13.	कृष्ण	चौकीदार	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर	मई 2023 से अद्यतन

उपरोक्त शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अपनी अनुपस्थिति के संबंध में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह में अनुपस्थिति के सम्बंध में स्पष्ट आख्या के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के बाद प्राप्त अभिकथन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्त की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उपरोक्त शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का होगा।

(डॉ. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच-2, ताज नगरी फेज 2, फतेहाबाद रोड, आगरा

ई-नीलामी 25.03.2026

चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तारीख और समय: 25.03.2026, सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक, बंद होने से पहले आखिरी 10 मिनट में बोली लगने पर ऑटो एक्सटेंशन क्लॉज के साथ।

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, नियम 8(6) और 6(2), 9(1) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002.

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित (चल और अचल संपत्ति/ संपत्तियां) जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/ बंधक/ गिरवी रखी गई हैं, जिसका रचनात्मक/ भौतिक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 25.03.2026 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा।

क्र. नं.	ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण
	शाखा: कमला नगर (सम्पर्क: 8650568665)	
1.	**ऋणी:** राधा पत्नी मनोज कुमार, पता: मकान नं. बी-59, सेक्टर सी-1, शास्त्रीपुरम, आगरा - 282002. **सह-ऋणी:** श्री मनोज कुमार पुत्र हरि शंकर सिंह, पता: मकान नं. बी-59, सेक्टर सी-1, शास्त्रीपुरम, आगरा - 282002. **गारंटर:** श्री प्रमोद कुमार पुत्र हरि शंकर सिंह, पता: मकान नं. बी-36, निर्भय नगर, आशोपा हॉस्पिटल के पास, खंदारी, आगरा - 282002. **बकाया राशि: रू. 16,88,279.77 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	**संपत्ति:** मकान नं. बी-59 का साम्यिक बंधक, सेक्टर सी-1, शास्त्रीपुरम, आगरा में स्थित मालिक का नाम श्रीमती राधा पत्नी मनोज कुमार और श्री मनोज कुमार पुत्र हरि शंकर सिंह, जिसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर। **चौहद्दी विक्रय विलेख के अनुसार: पूर्व में:** प्लॉट नं. बी-58, **पश्चिम में:** प्लॉट नं. बी-60, **उत्तर में:** ए टाइप प्लॉट, **दक्षिण में:** 9 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास। आरक्षित मूल्य: 51,33,000/- अग्रिम धनराशि: 5,13,300/- सांकेतिक
	शाखा: आगरा एसएसआई (संम्पर्क: 7351025535)	
2.	**ऋणी:** मेसर्स निऑन प्रोटीन्स (प्रोप. श्री राजीव सक्सेना), पता: 44बी/18, बिचपुरी रोड, बोदला, आगरा - 282007 (उत्तर प्रदेश)। श्री राजीव सक्सेना पुत्र श्री राजेंद्र सक्सेना, 315, सेक्टर-9, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा आगरा - 282001. गारंटर: श्रीमती श्रुति सक्सेना पत्नी श्री राजीव सक्सेना, 315, सेक्टर-9, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा आगरा - 282001. **बकाया राशि: रू. 1,38,94,445.41 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	पट्टा-अधिकारों का साम्यिक बंधक, कॉमर्शियल दुकान संख्या 13, प्रथम तल, ब्लॉक नं. 114/2, दीपशिखा कॉम्प्लेक्स, संजय प्लेस, आगरा, जिसका क्षेत्रफल 48.76 वर्ग मीटर, मालिक श्रीमती श्रुति सक्सेना पत्नी श्री राजीव सक्सेना। **विक्रय विलेख के अनुसार चौहद्दी: पूर्वः** दुकान नं. 14, **पश्चिमः** दुकान नं. 12, **उत्तरः** आकाश के लिए खुला, **दक्षिणः** सामान्य गलियारा। आरक्षित मूल्य: 58,22,000/- अग्रिम धनराशि: 5,82,200/- सांकेतिक
	शाखा: शहीद नगर (संम्पर्क: 7017626161)	
3.	**ऋणी:** 1. श्रीमती अंबिका शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा। 2. श्री मनोज शर्मा पुत्र श्याम बाबू शर्मा। **पता:** 38/207 ई, गोपाल पुरा, ग्वालियर रोड, आगरा - 282001. **बकाया राशि: रू. 18,42,324.93 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	**संपत्ति:** प्लॉट नं. 66 का साम्यिक बंधक भाग, खसरा नं. 429, 430 और 431 का भाग, सैंथिया एस्टेट, मौजा इटोरा ग्वालियर रोड, आगरा (नगर पालिका आगरा के अंतर्गत) तहसील सदर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश 282001 में स्थित है, मालिक श्रीमती अंबिका शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा। **विक्रय विलेख के अनुसार चौहद्दी: पूर्वः** अन्य संपत्ति, **पश्चिमः** रास्ता 9 मीटर, **उत्तरः** प्लॉट संख्या 65, **दक्षिणः** प्लॉट संख्या 67. आरक्षित मूल्य: 68,00,000/- अग्रिम धनराशि: 6,80,000/- सांकेतिक
	शाखा: आगरा (संम्पर्क: 9011940740)	
4.	1. श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र कन्हैया लाल गोयल (ऋणी-बंधककर्ता) पताः 143-न्यू आदर्श नगर, बालकेश्वर कॉलोनी आगरा -282005 2. श्रीमती रश्मि गोयल (सह-आवेदक), पताः 143-न्यू आदर्श नगर, बालकेश्वर कॉलोनी, आगरा-282005. **बकाया राशि: रू. 6,75,412.11 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो**	सम्पत्तिः अचल सम्पत्ति का साम्यिक बंधक, ईडब्ल्यू प्लॉट नंबर ई-116, कालिंदी विहार, ब्लॉक-ए, तहसील एत्मादपुर, आगरा, जिसका क्षेत्रफल 28.50 वर्ग मीटर, मालिक श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र कन्हैया लाल गोयल। वास्तविक चौहद्दीः पूर्वः ईडब्ल्यूएस प्लॉट नंबर ई-117, पश्चिमः ईडब्ल्यूएस प्लॉट नंबर ई-115, उत्तरः बी-1 टाइप प्लॉटस, दक्षिणः रोड 4.5 मीटर चौड़ा। ज्ञात भारः शून्य आरक्षित मूल्यः 7,98,000/- अग्रिम धनराशिः 79,800/- सांकेतिक

नीलामी की दिनांक 25.03.2026 को समय प्रातः 11:00 से दोपहर 05:00 बजे तक

नियम और शर्तें 1. यह ई-नीलामी पीएसबी अलायंस द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीदाताओं को वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करना होगा। 3. बोलीदाताओं के पास वैध पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 4. सफल पंजीकरण के बाद बोलीदाता को प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्धारित बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 5. बोली लगाने वाले निर्धारित नीलामी अवधि के दौरान संपत्ति पर बोली लगा सकते हैं। 6. नीलामी अवधि के अंत में उच्चतम बोली लगाने वाला ही विजेता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। विजेता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान/जमा की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर लेगा। भुगतान गतान में चूक होने पर संपत्ति दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दी जा सकती है या पुनर्विक्रय की जा सकती है और चूक करने वाले क्रेता का कोई दावा नहीं होगा। संपत्ति पर देय सभी वैधानिक और अन्य शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. यदि किसी भी कारण से बिक्री की पुष्टि नहीं होती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को बिक्री से संबंधित सभी आकस्मिक खर्चों का वहन करना होगा और क्रेता/बोली लगाने वाला किसी भी प्रकार के मुआवजे या हर्जाने का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 8. इच्छुक पक्ष/बोलीदाता अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 9. संपत्ति की बिक्री के संबंध में बैंक / अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. संपूर्ण विक्रय मूल्य के भुगतान और विक्रय संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, सफल क्रेता/बोलीदाता को विक्रय प्रमाण पत्र सरफेसी नियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जारी किया जाएगा। सफल क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सभी मौजूदा/पूर्व/भविष्य के कर और शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्मिक व्यय आदि वहन करने होंगे। 11. यह सूचना उपरोक्त उधारकर्ताओं/गिरवीदारों/गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8 (6)/6(2)/9 (1) के तहत भी दी गई सूचना है। 12. बोली लगाने वाले अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोली लगाने वाले को स्वयं करनी होगी, बैंक सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली गुल होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 13. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के शुल्कों के अलावा किसी भी प्राधिकरण द्वारा संपत्ति पर किसी भी दावे, शुल्क और भार के संबंध में सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, विस्तार, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। 14. यदि उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहले बैंकों को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रोका/ रद्द किया/वापस लिया जा सकता है। 15. यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 में निर्धारित शर्तों और इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में बैंकों के दिशानिर्देशों के अधीन होगी। 16. संयुक्त भूखंड के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी और संयंत्र और मशीनरी के लिए बोली पर तभी विचार किया जाएगा जब भूमि और भवन के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होगी। 17. बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए और बोलीदाता को भविष्य में अपनी पेशकश को 10,000 रुपये के गुणक में सुधारना होगा। 18. यदि किसी लॉट की अंतिम बोली राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो नीलामी खरीदार को बैंक को अंतिम भुगतान करते समय आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार अचल संपत्ति के विक्रय मूल्य का 1प्रतिशत टीडीएस (वजन कटौती) काटकर आयकर विभाग को बैंक ऑफ इंडिया पैन नंबर AAACB0472C के नाम से जमा करना होगा और बैंक को चालान / करदाता की प्रतिप्रतिलिपि और फॉर्म 26qb अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। खरीदार को अन्य सभी लागू वैधानिक कर, देय राशि, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर, सोसायटी शुल्क और अन्य सभी समान शुल्क भी वहन करने होंगे। 19. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषा के संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। 20. बोलीदाताओं को ई-नीलामी के दिन ऑनलाइन बोली जमा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में, एक बार बोली जमा हो जाने पर बोलीदाता जमा की गई राशि के लिए बाध्य होगा / होंगी और किसी भी अनुरोध / संवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ता / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त रराशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों सहित ई-नीलामी की तिथि से पहले कर दें। अन्यथा, सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक 08.03.2026 प्राधिकृत अधिकारी

विधवा से शादी का वादा कर यौन शोषण, फिर ठगी

अलीगढ़। लोधा क्षेत्र की विधवा महिला ने आगरा के व्यक्ति पर फेसबुक पर दोस्ती के बाद शादी का वायदा कर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बाद में रुपये हड़पकर शादी से इन्कार कर दिया। मामले में कार्रवाई न होने पर अब एसएसपी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

महिला ने बताया कि उसके पति का देहांत हो गया है। फेसबुक पर उसकी आगरा के धीरज सिंघल नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई। बातचीत आगे बढ़ी तो होटल में मिलना जुलना शुरू हुआ। उसने शादी का वायदा कर यौन शोषण शुरू कर दिया। इसी बीच बातों में लगाकर दस लाख रुपये भी हड़प लिए। बाद में गर्भवती होने पर शादी से इन्कार करते हुए गर्भपात बनाने का दबाव बनाया। मामले में रिपोर्ट दर्जकर ली है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। एसएसपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो

धीरे-धीरे जारी रहेगी तापमान में बढ़ोतरी

लखनऊ। तापमान में धीरे-धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी का क्रम जारी है। प्रदेश में शनिवार को लगभग सभी जिलों में तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को झांसी में सबसे अधिक तापमान 36.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक रहा। दूसरे नंबर पर आगरा रहा जहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को भी तापमान में आंशिक बढ़ोतरी की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र न होने की वजह से प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ब्यूरो

300 गोशालाओं में लगेंगे बायोगैस प्लांट : अध्यक्ष

लखनऊ। गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में गोसंरक्षण को अब आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस दिशा में एक नई परियोजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की 300 गोशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांटों के माध्यम से गोबर और गोमूत्र से स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। संवाद